न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-63RAAJodhpur2023-18RTA223 Rinchhod urf Ranchhod ors Vs Dhanaram etc

1. रिणछोड उर्फ रणछोड पुत्र श्री चुनाराम जी,
2. भंवरलाल पुत्र श्री चुनाराम जी,
3. ओमप्रकाश पुत्र श्री चुनाराम के वारिसानः -
   3.1. सुरेश पुत्र स्व. ओमप्रकाश जी,
   3.2. हंसराज पुत्र स्व. ओमप्रकाश जी,
4. बालुराम पुत्र श्री रामचन्द्र जी,

जातियान-माली, निवासीगण सांगरिया, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. धनाराम पुत्र श्री हेमाराम,
2. किशनाराम पुत्र श्री हेमाराम,
3. मदनलाल पुत्र श्री हेमाराम,
4. बाबुलाल पुत्र श्री हेमाराम,,
5. नेनाराम पुत्र श्री हेमाराम,
6. कुनाराम पुत्र श्री हेमाराम,
7. चेनाराम पुत्र श्री हेमाराम,

जातियान माली, निवासीगण सांगरिया, तहसील व जिला जोधपुर।

8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

रेस्पोडेंट्स....

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 दिसंबर 2022 सहायक कलक्टर (दक्षिण) जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या 638/2022 रिणछोड़ उर्फ रणछोड बनाम धनाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या आठ

नि र्ण य

दिनांक : 27 मई 2026

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (दक्षिण) जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 638/2022 अनवान रिणछोड उर्फ रणछोड व अन्य बनाम धनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 दिसंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 17 जनवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 52, 100 व 205 की कुल 51 बीघा 04 बिस्वा भूमि के संबंध में धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2019 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश दिया गया। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 दिसंबर 2022 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीनी ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद पत्रावली मे विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी, उसके बाद यह पत्रावली सहायक कलक्टर, जोधपुर दक्षिण के न्यायालय में चली गई। सहायक कलक्टर जोधपुर दक्षिण ने दिनांक 23.09.2022 को पत्रावली पुनः सुनवाई में ली, लेकिन उनके द्वारा अपीलान्ट्स को कोई नोटिस या तारीख पेशी की कोई सूचना नहीं दी गई। यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में वादी संख्या 3 ओमप्रकाश का दिनांक 05.11.2020 को देहांत हो गया था। अधीनस्थ न्यायालय में ओमप्रकाश के वारिसान को रेकर्ड पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

लेने की किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं ओमप्रकाश मृत होते हुए भी विचारण न्यायालय द्वारा बंटवाडे की फाईनल डिक्री जारी कर दी गई। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में नरोबदा उर्फ नरोबा देवी पत्नी रामचन्द्र की भूमि का भी विवरण दिया गया है, जबकि वह न तो अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार थी, न ही उसे कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर दिया गया। हालांकि नरोबदा उर्फ नरोबा देवी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अपील की गई थी, लेकिन वह नोटिस तामील नहीं होने के तकनीकी आधार पर निरस्त की गई थी। यह उल्लेखनीय है कि बंटवाडे के वाद में सभी सह-खातेदार आवश्यक पक्षकार होते है, इसलिए नरोबदा उर्फ नरोबा देवी को पक्षकार बनाये बगैर बंटवाडे की फाईनल डिक्री किसी भी सूरत में जारी नहीं की जा सकती थी। बंटवाडा प्रस्ताव तहसीलदार, जोधपुर से मंगवाया गया था एवं नियमों के तहत तहसीलदार द्वारा ही मौके पर जाकर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया जा सकता था, लेकिन हस्तगत मामले में बंटवाडा प्रस्ताव विधिवत रुप से तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पक्षकारान् के कब्जे कास्त के विपरीत तैयार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा अपीलान्ट्स की अनुपस्थिति में निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किये गये है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (दक्षिण) जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 638/2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अनवान रिणछोड उर्फ रणछोड व अन्य बनाम धनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 दिसंबर 2022 को अपास्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.02.2020 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार जोधपुर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में स्वयं मौके पर जाकर अपीलांट्स को सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के बजाय पटवारी हल्का सांगरिया द्वारा अपीलांट्स की अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना प्रकट होता है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय को पत्रावली सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर से स्थानांतरित होकर प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा पुनः अपीलांट्स अथवा उनके अधिवक्ता को सूचित किये बिना तथा उन्हें विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना नियम विरूद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि विरुद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (दक्षिण) जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 638/2022 अनवान रिणछोड उर्फ रणछोड व अन्य बनाम धनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 दिसंबर 2022 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वह उभय पक्ष की उपस्थित में नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब कर उस पर उभय पक्ष को आपत्तियाँ प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार वाद का निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर